

दिनांक 02.02.2026 को पूर्वाह्न 09.30 बजे सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

विभागीय समीक्षा बैठक में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

1. बेल्ट्रॉन के द्वारा Khanansoft Portal, VLTS Portal एवं खनन से संबंधित अन्य एप्लीकेशन/Website का टेक्निकल ऑडिट का अनुश्रवण का कार्य शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

अनु०- उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

2. IMMIS (Integrated Mining Management Information System) के E-proc portal एवं Parivesh पोर्टल का API Based access हेतु संबंधित विभाग/मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर कार्य निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

अनु०- निदेशक, खान

3. NIC से प्राप्त Khanansoft Portal एवं VLTS Portal का सभी मूल दस्तावेज यथा Functional Requirement Specification (FRS) एवं Software Requirement Specification (SRS) सहित सभी दस्तावेजों की प्रति संबंधित संचिका में लगाने एवं एक प्रति सचिव महोदय के गार्ड file में लगाने का निदेश दिया गया।

अनु०- श्री आनंद प्रकाश, स० नि० (मु०)/आई०टी० मैनेजर

4. NISG में वृहत खनिज/लघु खनिज/RFP/IT एवं अन्य संबंधित मामलों के लिए Senior Consultant का योगदान सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

अनु०-निदेशक, खान

5. सामान्य प्रशासन विभाग के तर्ज पर विभाग में सुधारात्मक कार्य की प्रगति संबंधी प्रस्तुतीकरण तैयार करने, स्कैन पत्र की समीक्षा अलग से करने तथा क्रियाशील एवं अक्रियाशील संचिकाओं की सूची बनाने का निदेश दिया गया। भारत सरकार से उच्च स्तर पर प्राप्त डी०ओ० लेटर के अनुपालन में भेजे जाने वाले पत्र की सूचना मुख्य सचिव कार्यालय, बिहार को भी दिये जाने एवं डी०ओ० लेटर का अनुपालन स-समय करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी



6. ग्रामीण कार्य विभाग में भी iGOT-2 के क्रियान्वयन कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनु०-आई०टी० मैनेजर

7. एस०बी०आई० कैप के बकाया भुगतान एवं NHAI को गया जिला में क्रशर स्थापना की अनुमति से संबंधित संचिका को Follow Up कर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्री विकास पासवान, सहायक निदेशक (मु०)

8. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी सेवा संवर्ग के HRMS Module में ई-सेवा इतिहास यदि पूर्व से उपलब्ध है तो अलग से ई-सेवा इतिहास पोर्टल क्रियेट नहीं करके HRMS में ही इसे अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्री ऐश्वर्य कश्यप, विशेष कार्य पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर

9. अबतक अवैध बालू से संबंधित वाहनों के विरुद्ध की गयी दण्ड अधिरोपण की राशि पर अंतिम वसुली एवं प्राथमिकी दर्ज मामले के निष्पादन हेतु सभी जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाय। जिला पदाधिकारी DLMC की बैठक में भी ऐसे मामलों की समीक्षा करायेंगे।

अनु०-श्री शंभू प्र० साहू, ख०वि०प० (मु०)/अनुश्रवण कोषांग

10. बालू मित्र से संबंधित कार्यों को Follow Up कर अगली बैठक से पूर्व पूरा करने का निदेश दिया गया।

अनु०- निदेशक, खान/जी०एम०, बी०एस०एम०सी०एल०

11. मॉनिटरिंग सेल को सभी संबंधित बालूघाटों का Online Return Upload कराने का निदेश दिया गया। Online Return Upload नहीं करने वाले बंदोबस्तधारी से स्पष्टीकरण एवं नियमानुसार कार्रवाई हेतु संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जाय।

अनु०- श्री शंभू प्रसाद साहू, खनिज विकास पदा०

12. बिहारी योद्धा में चयनित सभी व्यक्तियों को माननीय मंत्री महोदय के द्वारा पुरस्कार की राशि शीघ्र दिलाने का निदेश दिया गया।

अनु०- श्री शंभू प्रसाद साहू, ख०वि०प० (मु०)

13. वन अधिकारी (संविदा) की नियुक्ति संबंधी कार्य शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

अनु०- महाप्रबंधक, बी०एस०एम०सी०एल०



14. बेल्ट्रॉन एवं पर्यटन विकास निगम के अलावे मुख्यालय/निगम में आउट सोर्स से कार्य करने वाले कर्मी यथा डाटा इंट्री ऑपरेटर, चालक एवं कार्यपालक सहायक आदि के वेतन के भुगतान अद्यतन करते हुए उक्त के उपरान्त कर्मियों के खातों में अंतरण का साक्ष्य प्राप्त कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

15. आउट सोर्स के मामलों में नया लेबर कोड में वर्णित प्रावधानों को लागू करने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

16. कोयला के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना यथाशीघ्र बनाकर उसपर कार्य करने एवं इस वर्ष के बजट में लागू प्रावधानों के तहत कोयला उठाव से संबंधित मामलों की समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

अनु०- निदेशक, खान/महाप्रबंधक, बी०एस०एम०सी०एल०

17. Ministry of Coal द्वारा Lanch किया गया Coal SETU Window के क्रियान्वयन से होने वाले प्रभाव का अध्ययन कर प्रतिवेदन देन एवं Alternate Source of Revenue प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

अनु०- निदेशक, खान/महाप्रबंधक, बी०एस०एम०सी०एल०

18. विभागीय कार्यवाही की समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों को Follow Up करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग

19. सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में भुगतान को अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

20. सेवा संपुष्टि से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का शत-प्रतिशत डाटा प्राप्त कर एक सप्ताह के अंदर कार्य पूरा करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

21. प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० से संबंधित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी



22. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा HRMS के माध्यम से लिये गये छुट्टी को Excel Sheet में भी संधारित करने का निदेश दिया गया।

अनु०-ऐश्वर्य कश्यप, विशेष कार्य पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर

23. AEBAS के तहत मुख्यालय, निगम तथा जिला खनन कार्यालय में पूर्ण रूप से Biometric System लागू करने तथा जिला खनन कार्यालय में Biometric उपस्थिति के आधार पर फरवरी माह का वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

24. अनुकम्पा से संबंधित लंबित मामलों का Follow Up करने का निदेश दिया गया।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

25. लोक लेखा समिति में लंबित ऐसे मामले, जो अत्यंत महत्वपूर्ण या जिससे सरकारी राजस्व की हानि हो, ऐसे मामलों की जानकारी प्राप्त कर निष्पादन करवाने का निदेश दिया गया।

अनु०-आंतरिक वित्तीय सलाहकार /अवर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

26. ईटभट्टा तथा खनन कार्य करने में शामिल व्यक्तियों की सूची खनिज विकास पदाधिकारी से प्राप्त करने तथा आई० डी० कार्ड तैयार किये जाने हेतु प्रपत्र बनाने का निदेश दिया गया।

अनु०- श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदा०

27. खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के बच्चे को DMF से लाभ अधिक-से-अधिक मिल सके, इस हेतु शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार कर मामलों का Follow Up करने का निदेश दिया गया।

अनु०- श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदा०

28. कार्य विभागों में व्यवहृत लघु खनिजों के ई-चालान का सघन जाँच में पाये गये संदेहास्पद चालान को जिला स्तर से जाँच हेतु स्रोत राज्य/जिला में जाँच करने हेतु मुख्यालय स्तर से एक टीम संबंधित राज्य/जिला में भेजने का निदेश दिया गया।

अनु०- श्री आनंद प्रकाश, सहायक निदेशक (मु०)

29. राजस्व समाहरण के दृष्टिकोण से विभाग में कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की जाँच हेतु पूर्व की भांति दो माह के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (संविदा) की सेवा लिये जाने का कार्य शीघ्र पूरा करें।

अनु०- अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

12

30. खनन कार्य में AI, GPS, Satellite आधारित उन्नत तकनीक का बेहतर उपयोग किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्री लाल बिहारी प्रसाद, ख० वि० पदा० (मु०)

31. नये सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) की RFP में NIC को जितने पत्र दिये गये हैं, उनकी समीक्षा कर सभी अव्यवों को RFP में शामिल करने का निदेश दिया गया।

अनु०-निदेशक, खान

32. पत्थर के ई-नीलामी हेतु सभी आवश्यक प्रक्रिया यथा निविदा दस्तावेज, बेल्ट्रान/एम०एस०टी०सी० का चयन एवं ई-नीलामी से पत्थर खनन पट्टा संचालन होने तक सभी वैधानिक अनापत्ति प्रपत्र देने से संबंधित प्रस्तुतीकरण तैयार करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्री राजेश कुमार कुशवाहा, स० नि० (मु०)

33. वृहत खनिज में GSI G-2 ई-नीलामी के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने एवं मामलों का Follow Up करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्री राजेश कुमार कुशवाहा, स० नि० (मु०)

34. राजस्व समाहरण हेतु प्रत्यर्पित बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों से बैठक कर प्रत्यर्पण के कारणों का विश्लेषण करने का निदेश दिया गया।

अनु०-निदेशक, खान

35. साधारण मिट्टी के खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्री राजेश कुमार कुशवाहा, स० नि० (मु०)

36. ईट-भट्टा से प्राप्त राजस्व का समीक्षा कर जिला वार प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया।

अनु०-श्री शंभु प्रसाद साहू, ख० वि० पदा० (मु०)

37. माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री से प्राप्त परिवादों पर अविलंब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनु०-निदेशक, खान

38. विधायी संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

अनु०-संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-

(दिवेश सेहरा)

सचिव

सं०स०-विविध (बैठक)-०७/२०२४ १७१ /एम०, पटना, दिनांक- ०६/०२/२४

प्रतिलिपि- सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/
महाप्रबंधक, बी०एस०एम०सी०एल०/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी विशेष कार्य
पदाधिकारी/अवर सचिव/सभी सहायक निदेशक (मु०)/सभी खनिज विकास
पदाधिकारी (मु०)/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव